punishment दे। सर, punishment का प्रावधान तो है, मगर वह एक्ट बहुत पुराना हो चुका है। पुराना होने के कारण कहीं भी पशुओं के ऊपर क्रूरता होती है, तो मानसिकता यह होती है कि 100-50 रुपये देकर छूट जाओ। महोदय, उस एक्ट में चेंज होना चाहिए और इसके लिए कड़े से कड़ा प्रावधान होना चाहिए, ताकि हम अपने पशुओं को संभाल कर रख सकें। आज कल पशुओं की मानसिकता बदल गयी है, वे friendship में जी रहे हैं, मगर हमारे अंदर कहीं न कहीं पशु प्रवृत्ति ज्यादा देखने को मिल रही है। हम पशुओं के साथ क्रूरता के साथ behave करते हैं, जो नहीं करना चाहिए। हमारे प्रधान मंत्री जी पशु-पक्षियों को दाना देते हैं, उनको प्यार करते हैं। मैं प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगी कि इस विषय को संज्ञान में लेकर उचित कदम उठाएं।

THE VICE-CHAIRPERSON (SHRIMATI SEEMA DWIVEDI): The following hon. Members associated themselves with the issue raised by the hon. Member, Shrimati Sulata Deo: Dr. Amee Yajnik (Gujarat), Shri Jawhar Sircar (West Bengal), Dr. John Brittas (Kerala), Shri Saket Gokhale (West Bengal), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shri Kamakhya Prasad Tasa (Assam), Dr. Santanu Sen (West Bengal), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Shrimati Priyanka Chaturvedi (Maharashtra), Shri Jose K. Mani (Kerala), Shri Sujeet Kumar (Odisha), Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shri Kanakamedala Ravindra Kumar (Andhra Pradesh) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).

Now, Dr. Ashok Bajpai.

Demand to make laws to prevent discord among ethnic and religious communities in India

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति महोदय, मैं एक गंभीर विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, आज दुनिया के 100 से अधिक देशों में वहां की आस्था और विश्वास, ईश्वर के प्रति उनके मन में जो आस्था है, उसका अपमान करने, उसकी आलोचना करने, उसके विरुद्ध अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करने के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है, लेकिन हम जिस देश में रहते हैं भारत वर्ष में, यहां लगभग सवा सौ करोड़ आबादी एक वर्ग के हिंदू समाज की है। हिंदू समाज उदारवादी और सहिष्णु माना जाता है और इसी को लेकर इसकी एक विशेषता है। आज धीरे-धीरे यह हमारी उदारवादिता और सहिष्णुता हमारी कमज़ोरी बन गई है। जब कोई चाहे, किसी भी तरह की अपमानजनक टिप्पणी हमारी आस्था पर, हमारे विश्वास पर, हमारी आध्यात्मिक चेतना पर और हमारे धार्मिक प्रतीकों पर कर सकता है। उसके लिए उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती। मान्यवर, ऐसे तमाम देश हैं, जहां ईश निंदा को लेकर फांसी तक की सज़ा है, मृत्युदंड तक का प्रावधान है, लेकिन हमारे जैसे देश में हम दूसरे धर्मों का आदर करते हैं और हमारा धर्म यह शिक्षा देता है कि सभी धर्मों के प्रति हमारे मन में आदर हो, हम उनका सम्मान करें, लेकिन लगातार दूसरे धर्मावलम्बी हमारे धर्म के प्रति जिस तरीके की

गंदी टिप्पणियां करके, अपमानजनक टिप्पणी करके हमारे धर्म को, हमारी आस्था को, हमारे विश्वास को चोट पहुंचाने का काम करते हैं, यह गंभीर विषय है। आज तक देश में कई बार यह मांग की गयी है कि यहां पर भी ईश निंदा कानून बनाया जाए। मान्यवर, इसलिए ईश निंदा कानून की आवश्यकता पड़ी। आज अगर देखा जाए तो जब कोई भी बात होती है, तो हमारे देवी-देवताओं का अपमान करने में, उनके विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने में कोई संकोच नहीं करता और मुस्कराता हुआ चला जाता है। महोदय, क्योंकि हमारे कानून में उसके लिए समुचित दंड का प्रावधान नहीं है, इसलिए वे स्वतंत्रता पूर्वक जैसे चाहें, हमारे देवी-देवताओं पर टिप्पणियां करें, जैसे चाहें, लेख लिखें, जैसे चाहें, चित्र बनाएं और जैसे चाहें, उन्हें अपमानित करें। मान्यवर, यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा सदन है, वरिष्ठ सदन है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस गंभीर विषय पर कहीं न कहीं हम सबकी भावनाओं को भी चोट पहुंचती है। एक घटना राजस्थान में हुई, एक एक्टिविस्ट के पीछे अतिवादी लोग पड़ गए और ईश निंदा के नाम पर वे उसका सर कलम करने के नारे लगाने लगते हैं। लेकिन हम लोग वह नहीं चाहते हैं। हम इतना ज़रूर कहना चाहते हैं कि हम अपने धर्म में आस्था रखते हैं, हमारा उस पर विश्वास है और उस विश्वास के ऊपर अगर कोई चोट पहुंचाएगा, तो निश्चित रूप से हमारी भावना उससे चोटिल होगी और हमारे मन को दुख होगा। आपके माध्यम से मेरी भारत सरकार से यह अपील होगी कि यहां पर ईश निंदा कानून बने और इस तरीके से हमारे धर्म का या किसी भी धर्म का अपमान करने वालों, धर्म के प्रतीकों का अपमान करने वालों, धर्म के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने वालों, अपमानजनक साहित्य प्रचारित करने वालों और अपमानजनक चित्र बनाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाही का प्रावधान किया जाए

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The following hon. Members associated themselves with the Zero Hour matter raised by the hon. Member, Dr. Ashok Bajpai: Shri Niranjan Bishi (Odisha), Shrimati Mahua Maji (Jharkhand), Dr. Fauzia Khan (Maharashtra), Shri Dhananjay Bhimrao Mahadik (Maharashtra), Shri Kamakhya Prasad Tasa (Assam), Dr. K. Laxman (Uttar Pradesh), Dr. Anil Sukhdeorao Bonde (Maharashtra), Shri Krishan Lal Panwar (Haryana), Shri Rambhai Harjibhai Mokariya (Gujarat), Shrimati Ramilaben Becharbhai Bara (Gujarat), Shrimati Darshana Singh (Uttar Pradesh), Shri Harnath Singh Yadav (Uttar Pradesh), Shri Deepak Prakash (Jharkhand), Shri Aditya Prasad (Jharkhand), Shrimati Sumitra Balmik (Madhya Pradesh), Shrimati Seema Dwivedi (Uttar Pradesh), Shri Baburam Nishad (Uttar Pradesh), Shri Maharaja Sanajaoba Leishemba (Manipur), Shri Kailash Soni (Madhya Pradesh), Shri Ajay Pratap Singh (Madhya Pradesh), Shri Naresh Bansal (Uttarakhand), Shri Brijlal (Uttar Pradesh), Shrimati Geeta alias Chandraprabha (Uttar Pradesh), Dr. Amar Patnaik (Odisha), Shrimati Sulata Deo (Odisha), Shri Sakaldeep Rajbhar (Uttar Pradesh) and Dr. Sasmit Patra (Odisha).